राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

सन्दर्भ: एनसीपीसीआर ने मणिपुर के डीजीपी को हाल ही में एक भयावह घटना में शामिल एक नाबालिग की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए तीन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन संचालित होता है।
- NCPCR ने 5 मार्च 2007 से अपना कार्य प्रारंभ किया है।
- आयोग की परिभाषा के अनुसार एक बच्चे से आशय 18 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों से है।
- आयोग का अधिदेश सभी कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और प्रशासनिक तंत्रों को भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CPCR अधिनियम, 2005, धारा 13) में बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के साथ समीक्षित करता है।

आयोग निम्नलिखित के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है:

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

आयोग की संरचना

- एक अध्यक्ष, जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- छह सदस्य, जिनमें से कम से कम दो महिलाएं हैं, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और बच्चों से संबंधित कानूनों जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं।
- सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।

पॉक्सो अधिनियम, 2012

- भारत में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए POCSO अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) वर्ष 2012 में लागू किया गया था।
- यह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों को परिभाषित और संबोधित करता है, जिसमें प्रवेश, गैर-प्रवेश और बाल पोर्नोग्राफ़ी आदि सभी शामिल हैं।
- अधिनियम इन मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करता है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित होता है।
- बच्चे की गोपनीयता की रक्षा के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान उसकी पहचान की गोपनीयता सख्ती से बनाए रखी जाती है।
- अधिनियम बाल यौन शोषण के किसी भी ज्ञान या संदेह की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है, और रिपोर्ट करने में विफलता के परिणामस्वरूप दंड हो सकता है।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023

सन्दर्भ: सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 को लोकसभा में पेश किया है।

- इस विधेयक का उद्देश्य वर्ष 1948 के दंत चिकित्सक अधिनियम को निरस्त करके इसके स्थान पर राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (NDC) को प्रतिस्थापित करना है।
- इसके उद्देश्यों में दंत चिकित्सा शिक्षा को किफायती बनाना और सुलभ गुणवत्ता वाली मौखिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना शामिल है।
- प्रस्तावित बदलाव के अनुसार डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान नेशनल डेंटल कमीशन लेगा।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग

- नया आयोग नीतियों का मसौदा तैयार करेगा और दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशे में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखेगा।
- यह निजी डेंटल कॉलेजों में 50% सीटों के लिए फीस को भी विनियमित करेगा।
- **संरचना:**
  - एनडीसी की संरचना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को प्रतिबिंबित करेगी जिसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया है।
  - एनडीसी का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा और इसमें एक अध्यक्ष, आठ पदेन सदस्य और 24 अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे, ये सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
  - आठ पदेन सदस्यों में एनएमसी, स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स नई दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
  - 24 अंशकालिक सदस्यों में से 19 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नामांकित व्यक्तियों में से दो वर्षों के लिए रोटेशनल आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
  - चार वर्षों के कार्यकाल के लिए शेष पांच सदस्यों में सरकारी संस्थानों के दो दंत संकाय और विभिन्न क्षेत्रों के तीन विशेषज्ञ शामिल होंगे।
  - विधेयक के अनुसार, आयोग के सदस्य कार्यालय में प्रवेश करने और छोड़ने पर अपनी संपत्ति, देनदारियों और पेशेवर व्यस्तताओं की घोषणा करेंगे।

दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद

- विधेयक के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक डेंटल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा।
- यह परिषद आयोग के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगी, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी।
- इसके अतिरिक्त, परिषद दंत चिकित्सा शिक्षा तक समान पहुंच में सुधार और परीक्षा की एक समान प्रणाली स्थापित करने के उपायों पर सलाह देगी।
- विधेयक एमबीबीएस स्नातकों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट के समान दंत चिकित्सकों के लिए एक एग्जिट टेस्ट पेश करेगा।

नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (CHIS)

सन्दर्भ: भारत ने नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (CHIS) शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जो वैक्सीन और उपचार विकास के लिए विभिन्न देशों में उपयोग की जाने वाली एक विधि है।

- संभावित नुकसान और भुगतान, तीसरे पक्ष के जोखिम और कमजोर प्रतिभागियों के मुद्दों के कारण CHIS को भारत में नैतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है।
- ICMR की बायोएथिक्स यूनिट ने वैज्ञानिक लाभों का हवाला देते हुए CHIS का समर्थन करने वाली एक नीति पेश की, जो सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुली है।
- यह नीति भारत में CHIS को लागू करने की आवश्यकता, लाभ और चुनौतियों को संबोधित करती है।

क्या है ?

- **वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता**: संक्रामक रोगों के प्रभाव को कम करना एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनी हुई है।
- **नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (CHIS):**
  - सीएचआईएस में, स्वस्थ स्वयंसेवकों को जानबूझकर नियंत्रित वातावरण में रोगजनकों के संपर्क में लाया जाता है।
  - **उद्देश्य**: अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित की समझ को बढ़ावा देना है:
    - संक्रामक रोगों का रोगजनन
    - संचरण तंत्र

- मनुष्यों में संक्रामक रोगों की रोकथाम और उपचार के तरीके।

- **सीएचआईएस के अनुप्रयोग:**
  - **रोगज़नक़ व्यवहार में अंतर्दृष्टि**: सीएचआईएस इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कैसे रोगज़नक़ मानव मेजबान को संक्रमित करते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं।
  - **प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को समझना**: सीएचआईएस संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
  - **टीकों और दवाओं का मूल्यांकन**: सीएचआईएस का उपयोग संक्रामक रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए डिज़ाइन किए गए टीकों और दवाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
- **ऐतिहासिक महत्व**: सीएचआईएस का एक लंबा इतिहास है और इसने वैश्विक स्वास्थ्य महत्व की संक्रामक बीमारियों के इलाज और रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **उपयोगिता में वृद्धि**: सीएचआईएस के संभावित मूल्य की पहचान के कारण अनुसंधान संदर्भों की एक विस्तृत श्रृंखला में इसका अनुप्रयोग बढ़ रहा है।
- **सापेक्ष अपरिचितता**: उनके महत्व के बावजूद, सीएचआईएस एक शोध पद्धति के रूप में अपेक्षाकृत अपरिचित है।

यह कैसे काम करता है?

- नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (CHIS) के लिए स्वस्थ वयस्क स्वयंसेवकों की भर्ती की जाती है।
- स्वयंसेवकों को प्रक्रिया और इसमें शामिल जोखिमों की स्पष्ट व्याख्या प्राप्त होती है, और पूरे अध्ययन के दौरान उनके स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रखी जाती है।
- CHIS में वायरस जैसे चुनौती एजेंटों की नियंत्रित खुराक का उपयोग करके टीकों या उपचारों का परीक्षण शामिल हो सकता है।
- प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू हैं, जिन्हें उनके समय के लिए आर्थिक रूप से प्रतिपूर्ति की जाती है।
- सीएचआईएस का उपयोग विकसित देशों में मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू जैसी बीमारियों का अध्ययन करने के लिए किया गया है।

तकनीकी वस्त्रों के लिए मानकों और विनियमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

संदर्भ: कपड़ा मंत्रालय ने 'तकनीकी वस्त्रों के लिए मानकों और विनियमों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया।

- कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (एनटीटीएम) के तहत मानकों और विनियमों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- सम्मेलन ने तकनीकी वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जैसे- सुरक्षात्मक वस्त्र, भू-टेक्सटाइल और चिकित्सा वस्त्र आदि।
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने कार्यक्रम के दौरान चार नए मानक जारी किए।
- सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- मंत्रालय के अधिकारियों ने क्षेत्र में विकास का समर्थन करने के लिए तकनीकी वस्त्रों में गुणवत्ता मानकों और क्यूसीओ के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया।

तकनीकी कपड़ा

- तकनीकी वस्त्रों में ऐसे वस्त्र आते हैं, जिनका निर्माण फैशन के उद्देश्यों के लिये नहीं किया जाता बल्कि इनके कार्यात्मक गुण प्रमुख होते हैं।

- तकनीकी वस्त्रों का उपयोग ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है।
- तकनीकी कपड़ा उत्पादों की मांग देश के विकास और औद्योगीकरण से प्रेरित है।
- उपयोग के आधार पर तकनीकी वस्त्रों के 12 खंड हैं: एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डटेक, मोबिलटेक, क्लॉथटेक, ओकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, इंदुटेक और स्पोर्टेक।
- प्रत्येक खंड विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करता है; उदाहरण के लिए, 'मोबिलटेक' में सीट बेल्ट और एयरबैग जैसे वाहनों में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद शामिल हैं, जबकि 'जियोटेक' दूसरों के बीच मिट्टी स्थिरीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे तेजी से बढ़ने वाला उप-खंड है।

राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन

- राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (एनटीटीएम) को 2020 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- इसका लक्ष्य भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना और 2024 तक घरेलू बाजार में उपयोग को 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है।
- कपड़ा मंत्रालय एनटीटीएम के लिए एक मिशन निदेशालय संचालित करता है।

- **चार वर्षीय मिशन (2020-2021 से 2023-2024) के चार घटक हैं:**
  - 1,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ाना।
  - तकनीकी वस्त्रों के लिए बाजार संवर्धन और विकास सुनिश्चित करना।
  - 2021-2022 तक 20,000 करोड़ रुपये तक के लक्ष्य के साथ निर्यात प्रोत्साहन।
  - तकनीकी वस्त्रों से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देना।

- **तकनीकी वस्त्रों का बाजार परिदृश्य**
  - विकास दर (प्रति वर्ष): 8%
  - विश्व बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी: 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर
  - विश्व बाज़ार का आकार: 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर
  - विश्व बाज़ार में प्रमुख खिलाड़ी: संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान

तकनीकी वस्त्रों के लिए पहल

- **स्वचालित रूट के तहत 100% एफडीआई**: भारत सरकार स्वचालित रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देती है। अहलस्ट्रॉम और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा निर्माता पहले ही भारत में परिचालन स्थापित कर चुके हैं।
- **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना**: निर्यात को बढ़ाने और अप्रत्यक्ष रूप से कपड़ा मशीनरी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए।
- **तकनीकी वस्त्रों के लिए नामकरण प्रणाली (एचएसएन) कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली**: 2019 में, भारत सरकार ने आयात और निर्यात डेटा की प्रभावी निगरानी और निर्माताओं को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए तकनीकी वस्त्रों को 207 एचएसएन कोड आवंटित किए थे।
- **कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) कपड़े, परिधान और तकनीकी वस्त्रों के उच्च मूल्य वाले उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- **टेक्नोटेक्स इंडिया**: कपड़ा मंत्रालय द्वारा फिक्की के सहयोग से आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम, जिसमें वैश्विक तकनीकी कपड़ा मूल्य श्रृंखला के हितधारकों की भागीदारी के साथ प्रदर्शनियां, सम्मेलन और सेमिनार शामिल हैं।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

26 July, 2023

NEWS IN BETWEEN THE LINES

जैविक विविधता संशोधन विधेयक

मणिपुर हिंसा पर पीएम के बयान की विपक्ष की मांग के बीच 25 जुलाई को लोकसभा ने जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया।

उद्देश्य: विधेयक औषधीय वन उत्पादों से जनजातियों और कमजोर समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए 2002 के अधिनियम में संशोधन करता है।

छूट: आयुष चिकित्सकों और पारंपरिक ज्ञान उपयोगकर्ताओं को जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए पूर्व सूचना से छूट दी गई है।

अनुपालन को सरल बनाना: बोझ को कम करना, निवेश को बढ़ावा देना और पेटेंट आवेदनों को सरल बनाना।

चिंताएँ: पर्यावरणविद "जैव चोरी" और अस्पष्ट लाभ साझाकरण के बारे में चिंतित हैं।

दंड: विधेयक कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करता है और मौद्रिक दंड का प्रावधान करता है।

पृष्ठभूमि: जैविक संसाधनों से लाभ के समान बंटवारे के लिए 2002 का जैविक विविधता अधिनियम।

समिति की समीक्षा: संयुक्त संसदीय समिति ने छूट के कारण संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई है।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एक अलगाववादी उग्रवादी समूह है, जिसका गठन 31 जनवरी 1980 को इसाक चिसी स्वू, थुइंगलेंग मुइवा और एस.एस. खापलांग द्वारा किया गया था। यह नागा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित 'शिलांग समझौते' का विरोध करता है।

उद्देश्य: 'नागालैंड फॉर क्राइस्ट'-आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ माओ त्से तुंग की विचारधारा पर आधारित 'ग्रेटर नागालैंड' की स्थापना करना।

संचालन का क्षेत्र: मुख्य रूप से नागालैंड के कुछ हिस्सों और मणिपुर के चार जिलों में तांगखुल नागा शामिल हैं।

निर्वासित सरकार: अंतरराष्ट्रीय बातचीत के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड सरकार (जीपीआरएन) की स्थापना की।

फंडिंग: वित्त के लिए मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली और बैंक डकैतियों में संलग्न; पड़ोसी देशों और आईएसआई से समर्थन मिलता है।

संपर्क: म्यांमार में नागा समूहों के साथ व्यापक संबंध विकसित किए गए; थाईलैंड और चीन में विभिन्न संपर्कों के माध्यम से हथियार खरीदता है।

निपाह वायरस

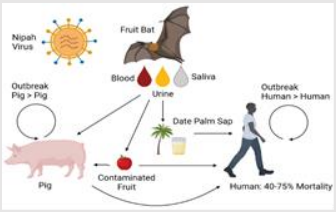

निपाह वायरस क्या है?

निपाह वायरस एक अत्यधिक रोगजनक ज़ूनोटिक वायरस है जो फल संबंधी चमगादड़ों से मनुष्यों में फैलता है।

- यह उच्च मृत्यु दर के साथ गंभीर श्वसन और मस्तिष्क संबंधी संक्रमण का कारण बनता है।
- निपाह वायरस के लिए कोई विशिष्ट दवा या टीका उपलब्ध नहीं है।
- रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाना, चमगादड़ से मनुष्य में संचरण को कम करना और संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचना शामिल है।
- डब्ल्यूएचओ इसके प्रकोप के प्रबंधन और रोकथाम के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और पांडिचेरी सहित कई भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चमगादड़ों में यह वायरस पाया गया है।
- सर्वेक्षण के कवरेज में तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और चंडीगढ़ शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (IECC)

उद्घाटन: पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लगभग 2,700 करोड़ रुपये की लागत वाला IECC कॉम्प्लेक्स समर्पित किया।

सबसे बड़ा MICE गंतव्य: यह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 123 एकड़ में फैला भारत का सबसे बड़ा बैठकें,आयोजन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां गंतव्य है।

प्रतिष्ठित बुनियादी ढांचा: कन्वेंशन सेंटर में 7,000 लोगों की संयुक्त क्षमता वाला एक बहुउद्देश्यीय हॉल और बड़ा हॉल है, जो सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से अधिक है। एम्फीथिएटर में 3,000 व्यक्ति बैठ सकते हैं।

वास्तुकला डिजाइन: भारतीय परंपराओं से प्रेरित, कन्वेंशन सेंटर के डिजाइन में पारंपरिक भारतीय कला और संस्कृति के तत्व शामिल हैं, जो आधुनिकता को अपनाते हुए भारत की विरासत को प्रदर्शित करते हैं।

व्यापार और वाणिज्य केंद्र: सात प्रदर्शनी हॉल के साथ, यह परिसर भारत को एक वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में बढ़ावा देता है, व्यापार एवं वाणिज्य को सुविधाजनक बनाता है और एसएमई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

सहकार से समृद्धि योजना

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

- भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकार से समृद्धि योजना शुरू की गई है।
- इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के प्रदर्शन, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाना है।
- प्राथमिक सहकारी समितियों को पारदर्शी और आर्थिक रूप से जीवंत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूत करने की पहल, सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम में राहत।
- सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार और नई बहु-राज्य समितियों की स्थापना।
- **प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करना:** मॉडल उप-कानून, कम्प्यूटरीकरण, नए बहुउद्देशीय पैक्स (PACS), अनाज भंडारण, सीएससी, एफपीओ, पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए प्राथमिकता, एलपीजी वितरक, जन औषधि केंद्र, पीएमकेएसके, पीएम-कुसुम कन्वर्जेंस, पीडब्लूएस का ओ एंड एम, माइक्रो- एटीएम, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड।
- **शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूत करना:** शाखा विस्तार, डोरस्टेप सेवाएं, ऋण निपटान, पीएसएल लक्ष्य, नोडल अधिकारी, आवास ऋण सीमा में वृद्धि, रियल एस्टेट को ऋण देना।
- **तीन नई बहु-राज्य सोसायटी:** बीज, जैविक और निर्यात।

जनजाति दर्पण

- यह राष्ट्रपति भवन में आदिवासी कला, संस्कृति और नायकों को समर्पित अनूठी गैलरी है।
- भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
- इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा विकसित किया गया है।
- गुमनाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, हलमा प्रथाओं, डोकरा कला, गुंजला गोंडी लिपियों, वस्त्र, वारली और गोंडी पेंटिंग, मुखौटे, गहने, धातुकर्म, हथियार और टैटू जैसे विषयों को प्रदर्शित किया गया है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्र के लिए समृद्ध जनजातीय कला और संस्कृति के योगदान को प्रस्तुत करना है।
- गैलरी 10 दिन की उल्लेखनीय समय सीमा में पूरी हुई।

समाचार में स्थान

गोड्डा

गोड्डा, झारखंड: प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति के लिए जाना जाता है।
राजमहल कोयला क्षेत्र: यह एशिया के सबसे बड़े कोयला क्षेत्रों में से एक है।
ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट: भारत की पहली कमीशन परियोजना, बांग्लादेश को 1600 मेगावाट की आपूर्ति।
भौगोलिक स्थिति: पूर्वी भारत में, इसकी सीमा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है।
गठन: बिहार से अलग होने के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखण्ड 28वां राज्य बना।
खनिज समृद्ध राज्य: प्रचुर मात्रा में कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट और तांबा भंडार।
जनजातीय जनसंख्या: संथाल, मुंडा, उराँव जैसी विभिन्न जनजातियाँ, अद्वितीय संस्कृतियों को संरक्षित करती हैं।
औद्योगिक केंद्र: इस्पात, विद्युतऔर विनिर्माण क्षेत्रों का उदय, आर्थिक विकास को बढ़ावा।
बाँध और नदियाँ: सुवर्णरेखा एवं मैथन जैसी कई नदियाँ और बाँध सिंचाई एवं बिजली में सहायता करते हैं।
प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान: बेतला और हज़ारीबाग़ वन्यजीव प्रेमियों को आकर्षित करते हैं।